

रफ़ीक / लिखाकत - 02/2020

दिनांक	आज्ञा पत्र	
26.11.14	<p>पत्रावली के वकील अपील को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व लावील से शेष रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलांत में रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांत अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलॉट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है, निर्णय तारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल धुमार होकर नम्बर के कम होकर बाद नगरीय तकमिल दायिजल दफनर हो।</p> <p>प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी रीकर (कैम्प इन्डान)</p>	

